मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

क्रमांक / Reg(IT)(SA)/2022/ 47 जबलपुर, दिनांकः 13/01/2022

—:: आदेश ::—

विषयः— कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा के संबंध में।

संदर्भः— रजिस्ट्री आदेश क्रमांक Reg(IT)/2010/240, दिनांक 28/08/2010 एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक Reg(IT)/2011/539, दिनांक 01/06/2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि पूर्व में कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा हेतु रजिस्ट्री आदेश Reg(IT)/2010/240, दिनांक 28/08/2010 पारित किया गया था। इसी तारतम्य में पुनः कार्यालयीन आदेश Reg(IT)/2011/539, दिनांक 01/06/2011 पारित करते हुये समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किये गये थे।

परंतु वर्तमान में यह देखा जा रहा हैं, कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेशों/निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है, कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी स्वयं को आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें यदि भविष्य में यह पाया पाया जाता हैं, कि आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख रखाव सुनिश्चित नहीं हो रहा हैं। तो इस स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी।

कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख—रखाव एवं सुरक्षा हेतु पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :—

1. समस्त अनुभाग अधिकारी/ अनुभाग प्रभारी को निर्देशित किया जाता हैं, कि वे अपने अनुभाग में रखे समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख—रखाव सुनिश्चित करें।
2. समस्त अधिकारीयों/कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता हैं, कि स्थानांतरण होने अथवा अनुभाग बदले जाने की स्थिति में उन्हें आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर को हार्डवेयर तकनीशियन की मदद से नवीन स्थान पर व्यवस्थित रूप से स्थापित करावें।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी/ अनुभाग प्रभारी को निर्देशित किया जाता हैं, कि वे सुनिश्चित करें कि अपने अनुभाग के समस्त कम्प्यूटरों में अनुपयोगी/अवैध साफ्टवेयर का संस्थापन एवं इन्टरनेट का दुरूपयोग न हों।

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक / Reg(IT)(SA)/2022/ 48 जबलपुर, दिनांकः 13/01/2022

प्रतिलिपि :—

समस्त अधिकारी/कर्मचारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एफ.एच. काज़ी)
एस.पी.एस.ए.(एस.ए.)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर

क्रमांक / Reg(27) / 2010 / 240 जबलपुर, दिनांक 28/08/2010

आदेश

विषय –कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख–रखाव एवं सुरक्षा के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भित विषय में सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय की विभिन्न शाखाओं में पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर का आवंटन किया गया है, किन्तु प्रायः यह देखने में आ रहा है, कम्प्यूटर हार्डवेयर जो कि संबंधित कर्मचारी को सौंपा गया है, वे उसका उचित रख–रखाव नही करते है।

वर्ष में दो बार कम्प्यूटर हार्डवेयर का प्रिवेन्टीव मेन्टेनेन्स कम्प्यूटर शाखा में पदस्थ हार्डवेयर तकनीशियनो द्वारा किया जाता है एवं भविष्य में किया जाता रहेगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख–रखाव करना प्रत्येक कर्मचारी/संबंधित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उचित रख–रखाव के अभाव में कम्प्यूटर हार्डवेयर की कार्यक्षमता एवं आयु काफी घट जाती है।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि विभिन्न शाखाओं में पदस्थ किसी कर्मचारी /अधिकारी का स्थानांतरण अन्य शाखा में होने की स्थिति में अथवा उस शाखा का अन्य स्थान पर स्थानांतरण होने पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर अपने साथ नही लाया जाता है, जो कि सर्वथा अनपेक्षित है। यथा आदेशित निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी स्थानांतरण होने की दशा में एवं उनके कक्ष की जगह परिवर्तन होने की दशा में उन्हें आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर को कम्प्यूटर शाखा के सहयोग से अपने साथ ले जाये । कम्प्यूटर हार्डवेयर आवंटन संबंधी जानकारी कम्प्यूटर शाखा से प्राप्त कर सकते है। किसी भी कम्प्यूटर हार्डवेयर गुम जाने एवं उचित रख–रखाव के अभाव में खराब होने की स्थिति में **समस्त जवाबदेही संबंधित कर्मचारी की होगी एवं इस स्थिति में संबंधित के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।**

अतः कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख–रखाव के संबंध में यह निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे है कि :–

1. समस्त शाखा अधिकारी/कक्ष प्रभारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शाखा में स्थापित समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख–रखाव को सुनिश्चित करें।

2. समस्त कर्मचारी एवं अधिकारी उन्हें आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख–रखाव करें एवं स्थानांतरण होने पर या कक्ष बदले जाने पर हार्डवेयर तकनीशियन की मदद से समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर नवीन स्थान पर उचित रूप से स्थापित करावें ।

3. आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर के रखरखाव एवं सुरक्षा का दायित्व संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का होगा ।

Sanjeev 28.3.10

(संजीव कॉलगांवकर)
रजिस्ट्रार प्रशासन

कमांक/Reg(27)/2010/241 जबलपुर, दिनांक 28/3/10

प्रतिलिपि :–

1. *समस्त अधिकारी/कर्मचारी, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।*

Sanjeev 28.3.10

(संजीव कॉलगांवकर)
रजिस्ट्रार प्रशासन

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

क्रमांक /Reg (IT)/2011/ 539 जबलपुर, दिनांक 1-6-11

//कार्यालीन आदेश//

विषय :– कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित *रख–रखाव एवं सुरक्षा* के संबंध में ।

संदर्भ :– इस रजिस्ट्री का आदेश क्रमांक/**Reg(IT)/2010/241** जबलपुर, दिनांक 28/08/2010

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस रजिस्ट्री का आदेश क्रमांक/**Reg(IT)/2010/241** जबलपुर, दिनांक 28/08/2010 का अवलोकन करें जिसमें यह निर्देशित किया गया गया था कि समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख–रखाव करें एवं स्थानांरतण होने पर या कक्ष बदले जाने पर हार्डवेयर तकनीशियन की मदद से समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर नवीन स्थान पर उचित रूप से स्थापित करावें एवं यह भी निर्देशित किया गया था कि आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर के की सुरक्षा का दायित्व भी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

परन्तु यह देखने में आया है कि इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है एवं प्रायः यह देखा जा रहा है कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उनके द्वारा उचित रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः आदेशित किया जाता है समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने को आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख–रखाव करें एवं स्थानांरतण होने या कक्ष बदले जाने पर हार्डवेयर तकनीशियन की मदद से समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर नवीन स्थान पर उचित रूप से स्थापित करावें । प्रत्येक शाखा अधिकारी/कक्ष प्रभारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शाखा में स्थापित समस्त कम्प्यूटर हार्डवेयर के उचित रख–रखाव को सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आवंटित कम्प्यूटर हार्डवेयर का उचित रख रखाव नहीं हो रहा है एवं कम्प्यूटर उपकरणों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है तो इस स्थिति में समस्त जवाबदेही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की होगी एवं इस संबंध में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

30.05.11
(सुभाष काकड़े)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक /Reg (IT)/2011/ 540 जबलपुर, दिनांक 1-6-11

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सुभाष काकड़े)
रजिस्ट्रार जनरल